षोडश बिहार विधान सभा

दशम् सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-02

सोमवार, दिनांक-23 जुलाई, 2018 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.22 बजे अपराह्न तक

[1] अन्य चर्चा :-

प्रश्नकाल प्रारम्भ होते ही माननीय नेता विरोधी दल द्वारा बिहार में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए राज्य को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने की मांग की गई ।

आसन द्वारा कहा गया कि सही मायने में यह पूरे राज्य की जनता के लिए संवेदनशील मुद्दा है । सरकार की तरफ से विधिवत भी विधान सभा को सूचना दी गई है । समाचार पत्रों में भी आया है, सरकार भी इस दिशा में प्रयत्नशील है । अभी समय है इस सत्र में भी हम इस विषय पर और भी संवेदनशील एवं गंभीर तरीके से विमर्श कर सकते हैं । अभी जैसे अनुपूरक का ही दिन है उस दिन पर भी आपलोग चाहिये तो उस दिन भी अन्य तरीके से विमर्श कर सकते हैं । अभी तो आप सभी माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं । कार्यस्थगन का प्रश्न उठाने का जो समय नियमावली में निर्धारित है, आप 12 बजे इसको उठा सकते हैं ।

[2] प्रश्नोत्तरकाल :-

(i) 02 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 01 अल्पसूचित प्रश्न अनागत ।

(iii) 10 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(iv) 55 तारांकित प्रश्न अनागत ।

प्रश्नोत्तरकाल के दौरान अल्पसूचित प्रश्न संख्या-2 के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा इस विषय को स्वयं देखने का आश्वासन मिलने के फलस्वरूप विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये ।

[3] **कार्यस्थगन प्रस्ताव :-**

माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय सदस्य श्री जीतन राम माँझी, श्री सुदामा प्रसाद, श्री ललित कुमार यादव एवं श्री सदानंद सिंह द्वारा दिये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा अमान्य किये जाने की घोषणा की गई ।

तत्पश्चात् आसन की अनुमति से कार्यस्थगन प्रस्ताव के विषय पर माननीय नेता विरोधी दल, माननीय सदस्य श्री सदानंद सिंह, श्री विजय शंकर दूबे एवं श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा अपना-अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा कहा गया कि कार्यस्थगन के इस विषय पर विशेष चर्चा की जा सकती है ।

माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा भी इस विषय पर सरकार की ओर से चर्चा कराये जाने के लिए आसन से अनुरोध किया गया ।

किन्तु सरकार के सुझाव से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर जाने का अनुरोध किया गया किन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अप० से 3.15 बजे अप० तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

[4] **सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-**

माननीय प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग श्री कपिलदेव कामत द्वारा बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2018 को दिनांक 01.01.2016 से प्रवृत किये जाने के कारणों से संबंधित विवरण की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

[5] **बिहार विधान सभा के समिति का प्रतिवेदन :-**

माननीय सभापति निवेदन समिति श्री भाई विरेन्द्र द्वारा समिति का चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम् प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

[6] **कार्यमंत्रणा समिति की बैठक :-**

आसन से घोषणा की गयी कि सदन की कार्यवाही की समाप्ति के तुरंत बाद उनके कार्यालय कक्ष में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी ।

[7] **विधायी कार्य :- राजकीय विधेयक :-**

(i) **''बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2018'' :-**

माननीय प्रभारी मंत्री, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय द्वारा विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

इस दौरान बिहार में सूखाड़ की स्थिति पर विशेष चर्चा की मांग करते हुए विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि विशेष चर्चा के लिए ही कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गयी है अपनी बातों को बैठक में उठायें किन्तु विपक्ष के माननीय सदस्यगण संतुष्ट नहीं हुए और सदन से बहिर्गमन कर गये ।

विधेयक पर जनमत जानने का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, श्री ललित कुमार यादव, श्री मो० नेमतुल्लाह, श्री भोला यादव एवं श्री रामानुज प्रसाद द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय द्वारा विधेयक के मूल पाठ में विभिन्न खंडों में दिये गये संशोधनों को प्रस्तुत नहीं किया गया ।

तदोपरान्त् विधेयक पर विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत खंडशः विचार के क्रम में बारी-बारी से सभी खंड विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक के स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक के प्रावधानों पर विस्तारपूर्वक पक्ष रखा गया ।

तत्पश्चात् "बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2018" सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(ii) **''<u>बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018</u>'' :-**

माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव द्वारा विधेयक पर दिये गये किसी भी संशोधन को सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

तत्पश्चात् ''बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018'' ध्वनिमत से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

[8] <u>निवेदन</u> :-

आसन द्वारा घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल-20 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 24 जुलाई, 2018 को 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-23.07.2018

राजीव कुमार
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।